



कार्यालय-आदेश

माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर के कार्यालय आदेश पत्रांक-माँ वि०वि०/कु०स०का०/457/2025-26 दिनांक 01 सितम्बर, 2025 द्वारा गठित पाँच सदस्यीय समिति की संस्तुति के क्रम में शासनादेशों एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार याचित महाविद्यालयों में स्वीकृत सेक्शन में 60 के स्थान पर 80 प्रवेश की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत प्रवेश सम्बन्धी तथा आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही याचित महाविद्यालयों द्वारा की जायेगी, नियमों के विपरीत असंगत तरीके से किये गए प्रवेश विधिमान्य नहीं होंगे।

(राम नारायण)
कुलसचिव

पत्रांक- माँ वि०वि०/कु०स०का०/ 509 /2025-26
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक- 18 सितम्बर, 2025

1. मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त याचित महाविद्यालय।
3. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव